



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 10.07.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उर्ई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त 1. जितेन्द्र कुमार पुत्र किशन प्रसाद निवासी इछौरा थाना जरिया जनपद हमीरपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली उर्ई पर मु०अ०स० 546/19 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कोतवाली उर्ई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री लखन लाल निरजन
DGC



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



का० अजय कुमार कोर्ट
मुहरिर



का० राहुल लवानिया
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

